

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, 30प्र0,

कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 15 फरवरी, 2019

विषय:-30प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) का प्रख्यापन।

महोदय,

अवगत कराना है कि आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं तुलनात्मक क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-26/18-2-2007-30(26)/2003, दिनांक 16 जनवरी, 2007 द्वारा 30प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना प्रख्यापित की गयी थी। तदोपरान्त औद्योगिक निवेश नीति-2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा एवं ब्राण्डिंग को सम्मिलित करते हुये उक्त योजना में शासनादेश संख्या-1747/18-2-2012-30(26)/2003टीसी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा संशोधन किया गया।

2- उल्लेखनीय है कि तकनीकी के क्षेत्र में निरंतर हो रहे द्रुत विकास एवं पर्यावरण तथा तकनीकी मानकों के प्रति वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे उच्चकृत मानकों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उन्नयन एवं परीक्षण संबंधी आधारभूत अवस्थापना पर किया जाने वाला निवेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। अतः उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं एवं मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-9.1 में प्रदेश सरकार की वर्तमान तकनीकी उन्नयन योजना को पुनर्निर्मित करते हुए इस प्रकार प्रोत्साहित किये जाने का प्राविधान किया गया है जिससे महत्तम ढंग से उच्चकृत तकनीक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा-दक्षता, गुणात्मक-पैकेजिंग, परीक्षण-सुविधाएं एवं कंप्यूटरीकृत गुणवत्ता-नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके। इस योजना को दो श्रेणियों के उद्योगों- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लिए क्रियान्वित किया जाएगा। अतः शासनादेश संख्या-26/18-2-2007-30(26)/2003, दिनांक 16 जनवरी, 2007 द्वारा प्रख्यापित एवं शासनादेश संख्या-1747/18-2-2012-30(26)/2003टीसी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा संशोधित 30प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना को अवक्रमित करते हुये नवीन योजना निम्नवत प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

30प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना

1. परिभाषा-

1.1 योजना से लाभान्वित होने वाली इकाईयों हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (संख्या-27 आफ 2006) की धारा-2 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु इकाई की प्राविधानित परिभाषा लागू होगी तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयों हेतु प्राविधानित वर्गीकरण भी लागू होगा।

1.2 ज्ञापन (इण्टरप्रेन्योर्स मेमोरेण्डम) का तात्पर्य "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" की धारा-8 से है।

1.3 वित्तीय संस्था का तात्पर्य 30प्र0 वित्तीय निगम, पिकप एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बैंक से है।

2. उद्देश्य-

इस योजना का उद्देश्य 30प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2017 के प्रस्तर-9 को लागू करना है जिसके तहत प्रदेश सरकार की वर्तमान तकनीकी उन्नयन योजना को पुननिर्मित करते हुए इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे महत्तम ढंग से उच्चकृत तकनीक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, श्रम सुरक्षा, ऊर्जा-दक्षता, गुणवत्ता-पैकेजिंग- सुविधाएं एवं कंप्यूटरीकृत गुणवत्ता-नियंत्रण को बढ़ावा मिलने के साथ ही सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके तथा सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को घरेलू एवं विदेशी बाजारों हेतु प्रतिस्पर्धा योग्य बनाया जा सके। इस योजना को 2 श्रेणियों के उद्योगों-सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रियान्वित किया जाएगा।

3. योजना के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधायें-

इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को निम्नलिखित मदों में सुविधायें उपलब्ध करायी जाएगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.1 पूंजी उपादान सहायता:

तीन वर्ष से संचालित एवं कार्यरत ऐसी सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों, जो तकनीकी उन्नयन हेतु इच्छुक होंगी, को उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, श्रम सुरक्षा, ऊर्जा-दक्षता, गुणवत्ता-पैकेजिंग-सुविधाएं एवं कंप्यूटरीकृत गुणवत्ता-नियंत्रण (quality and compliance) हेतु वॉछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत पूंजी उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5.00 लाख तक अनुमन्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि पूंजी उपादान केवल प्लान्ट मशीनरी एवं उपकरण खरीद पर ही दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत सिविल एवं अन्य विनिर्माण कार्यों पर किया गया व्यय पूंजीगत उपादान हेतु की जाने वाली गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3.2 ब्याज उपादान सहायता:

उपरोक्त (प्रस्तर-3.1 में अंकित) क्रय की गयी मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। उद्यमी द्वारा मात्र तकनीकी उन्नयन के कार्यों हेतु तैयार की गयी परियोजना पर बैंक द्वारा सुलभ कराये गये ऋण में से पूंजी उपादान की धनराशि घटाते हुये अवशेष धनराशि ब्याज उपादान हेतु अर्ह धनराशि होगी। उक्त अवशेष धनराशि पर आगणित ब्याज का 50 प्रतिशत ब्याज उपादान के रूप में दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख (प्रति वर्ष) होगी तथा यह सुविधा अधिकतम 05 वर्ष तक दी जायेगी। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इकाई में विस्तारीकरण के कार्य तकनीकी उन्नयन में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे।

3.3 मानक, प्रक्रिया अनुरूपता एवं अन्य प्रमाणीकरण सहायता:

इस घटक के अन्तर्गत ऐसे प्रमाण-पत्र अथवा अनुमोदन सम्मिलित होंगे जिन्हें कोई एम0एस0एम0ई0 निर्माता अथवा निर्यातक इकाईयां अनुपालन के आवश्यकता के कारण या फिर इनमें निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करके उनके उत्पाद या प्रक्रिया या प्रबन्धन प्रणाली द्वारा घरेलू और आयातक बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति को प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक हों।

3.3.1 मानकों, अनुरूपता आंकलन प्रक्रियाओं और घरेलू बाजार के लिये अन्य आवश्यकताओं में किसी को कवर करती हों, यथा-

3.3.1-1 जी0आई0 (Geographical Indicator), ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 या किसी भी अन्य क्षेत्र विशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली प्रमाणीकरण योजना जैसे TL9000, IATF16949, AS9100, ZED एवं अन्य समान प्रबन्धन प्रणाली मानक, जिनका प्रमाणन NABCB द्वारा प्रत्यायित (accredited) या समर्थित (endorsed) हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.3.1-2 स्वैच्छिक उत्पाद गुणवत्ता मानक और प्रमाणीकरण:

ISI मार्क, हार्ममार्किंग और रजिस्ट्रेशन मार्किंग जैसे BIS, कृषि मंत्रालय का AGMARK, STQC का एस मार्क, रेशम बोर्ड का सिल्क मार्क, QCI का AYUSH मार्क एवं अन्य कोई भी मार्क जो NABCB (QCI) द्वारा प्रत्यायित (accredited) या समर्थित (endorsed) हो।

3.3.1-3 प्रक्रिया का अनुपालन प्रमाणीकरण:

WHO-GMP, India-GHP, India-HACCP, Ind-GAP, NPOP-organic या NABCB (QCI) द्वारा समर्थित (endorsed) या प्रत्यायित (accredited) कोई अन्य प्रमाणीकरण।

3.3.1-4 मानक एवं अनुरूपता आंकलन प्रक्रिया हेतु सृजित एवं BIS एक्ट 1986, BIS एक्ट 2016, FSSAI एक्ट 2006, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940, इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट 2001, भारतीय पैकेजिंग संस्थान से खतरनाक एवं जोखिमपूर्ण उत्पादों हेतु यूएन0 सर्टिफिकेट या भारत सरकार द्वारा निर्धारित अन्य गुणवत्ता/सुरक्षा मानक या विनियमन के अधीन अधिसूचित किसी भी घरेलू तकनीकी विनियमन का अनुपालन ।

3.3.2 आयातक देश के मानक, अनुरूपता आंकलन प्रक्रियाएँ और अन्य आवश्यकताएँ, जिनमें निम्नलिखित आच्छादित होंगे-

3.3.2-1 आयात करने वाले देश द्वारा अधिसूचित पैकेजिंग और लेबलिंग सहित उत्पादों और प्रक्रिया गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिये सभी विनियामक अनुपालन।

3.3.2-2 भारत सरकार द्वारा निर्यात क्षेत्र में चैम्पियन सेक्टर के रूप में पहचाने जाने वाले सेवाओं/उत्पादों के लिये आयात करने वाले देश में निर्धारित विशेष विनियामक अनुपालन, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है तथा जिनके प्रौद्योगिकी उन्नयन/मानक अनुपालन हेतु आवश्यक व्यवस्था या तो नयी है या उसकी लागत बहुत अधिक है।

3.3.2-3 उत्तरदायी विनिर्माण (responsible manufacturing) के लिये कोई स्वैच्छिक प्रमाणीकरण जैसे पर्यावरण संरक्षण, श्रम सुरक्षा और कल्याण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे क्रेता द्वारा मांगा गया है या आयात करने वाले देशों की स्टेक होल्डर आधारित प्रमाणीकरण योजनाएँ, जिन्हें NABCB (QCI) द्वारा समर्थित (endorsed) किया गया है।

3.3.3 योजना के घटक: उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमाणन या अनुमोदन से जुड़े निम्नलिखित घटक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए कवर किए जायेंगे-

3.3.3-1 संबंधित एजेंसी/प्रमाणन निकाय द्वारा लगाए गए प्रस्तर-3.3.1 और प्रस्तर-3.3.2 के लिए प्रमाणीकरण या अनुमोदन की लागत।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3.3.3-2 उपरोक्त के रूप में प्रस्तर-3.3.1 और प्रस्तर-3.3.2 प्रमाणीकरण या अनुमोदन के लिए आवश्यक तृतीय पक्ष परीक्षण की लागत।

3.3.3-3 प्रस्तर-3.3.1 और प्रस्तर-3.3.2 के लिए परामर्श, प्रशिक्षण और दस्तावेजीकरण की लागत।

3.3.3-4 विनिर्माण/प्रसंस्करण मशीनरी के अधिग्रहण की लागत।

3.3.3-5 परीक्षण उपकरण के अधिग्रहण की लागत और अंशांकन (calibration) लागत सहित प्रयोगशालाओं की स्थापना।

3.3.3-6 आईटी सिस्टम के अधिग्रहण की लागत, जिसमें हार्डवेयर और प्रस्तर-3.3.1 और प्रस्तर-3.3.2 के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है।

3.3.3-7 नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रस्तर-3.3.1 और प्रस्तर-3.3.2 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उद्यम के एक कर्मचारी के लिए अनिवार्य पेशेवर प्रशिक्षण और योग्यता आवश्यकता की लागत।

3.3.3-8 वित्तीय सहायता के लिए मैट्रिक्स-

घटक	सूक्ष्म उद्योग		लघु उद्योग	
	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रुपये में)	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रुपये में)
3.3.3-(1-3)	75%	2.00	50%	2.00
3.3.3-(4-5)	75%	5.00	50%	5.00
3.3.3-6	75%	1.00	50%	1.00
3.3.3-7	75%	0.50	50%	0.50

3.3.3-9 उपरोक्त 3.3.3-(4-5) एवं 3.1 में से केवल एक अनुमन्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन सुविधाओं के अन्तर्गत केवल प्लान्ट मशीनरी एवं उपकरण खरीद पर ही दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत सिविल व अन्य विनिर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे। प्रयोगशाला की स्थापना अथवा विनिर्माण या प्रसंस्करण या परीक्षण उपकरण के क्रय में केवल प्लान्ट एवं मशीनरी पर व्यय ही अनुमन्य है।

3.4 उद्यम स्रोत योजना (ई0आर0पी) व्यवस्था सहायता:

उद्यम स्रोत योजना (ई0आर0पी0) व्यवस्था हेतु पूंजी लागत का 50 प्रतिशत अनुमोदित ई0आर0पी0 व्यवस्था का संस्थापन, अधिकतम सीमा रुपये 1.00 लाख देय होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.5 कन्सल्टेंसी सहायता:

उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा ₹0 1.00 लाख तक अनुदान देय होगा। इसके अन्तर्गत उद्यमी द्वारा कौशल एवं बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन तथा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं, जिन्हें आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग की संस्तुति पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा, से परामर्श प्राप्त करने के क्रम में परामर्शदायी संस्था द्वारा किया जाने वाला बाजार सर्वेक्षण, स्टॉक होल्डर कान्फ्रेंस, डी0एस0आर0/ डी0पी0आर0 तैयार करना, आदि मर्दें सम्मिलित होंगी। उद्यमी द्वारा परामर्श के अनुरूप कार्यवाही क्रियान्वित कर लिये जाने एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर ही लाभ अनुमन्य होगा।

3.6 ब्राण्डिंग सहायता:

उद्यम द्वारा उसके उत्पाद एवं उत्पाद श्रृंखला की ब्राण्डिंग को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि बाजार में उद्यम की क्रेडिट (साख) स्थापित हो सके और बाजार में उद्यम स्थायित्व प्राप्त कर सके। यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रृंखला की ब्राण्डिंग करता है तो ब्राण्डिंग पर होने वाले व्यय पर राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् शर्तों के पूर्ण होने पर अनुदान दिया जायेगा:-

3.6.1. इकाई ने जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत उद्योग आधार मेमोरेण्डम पार्ट-2 जमा किया हो।

3.6.2. इकाई ने विकसित ब्राण्ड के नाम से तीन वर्ष तक विपणन किया हो और तीसरे वर्ष में कुल उत्पाद का कम से कम 50 प्रतिशत तक प्रश्रुगत ब्राण्ड के अन्तर्गत विपणन अवश्यमेव किया गया हो तथा ब्राण्ड के विपणन में उत्तरोत्तर वृद्धि की हो।

उक्त पात्रता को पूरी करने की स्थिति में तीसरे वर्ष के उत्पादन अथवा उसके पश्चात आवेदन करने की स्थिति में संबंधित वर्ष के पूर्ण विपणन का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹0 1,00,000.00 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

3.7 बौद्धिक सम्पदा प्रमाणीकरण सहायता:

यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रृंखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो प्रमाणीकरण हेतु भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क (एवं यदि इस कार्य हेतु कोई कन्सल्टेंसी प्राप्त की गयी है तो उसका व्यय भी उपरोक्त शुल्क में जोड़ते हुये कुल व्यय) का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 2.00 लाख की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. शर्तें%

4.1 इस शासनादेश के बिंदु संख्या-3 में मात्र वही सहायता अथवा लाभ सम्मिलित होंगे जो शासनादेश के अंतर्गत निहित उद्देश्यों यथा उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, श्रम सुरक्षा, ऊर्जा-दक्षता, गुणवत्ता पैकेजिंग सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता नियंत्रण, मानकों, अनुरूपता आंकलन प्रक्रियाओं आदि की प्राप्ति हेतु वांछित होंगे।

4.2 योजनान्तर्गत प्राप्त सुविधा अथवा अनुदान प्राप्त करने के 05 वर्ष की अवधि के अन्दर यदि इकाई बन्द होती है तो योजना के अन्तर्गत समस्त प्रदत्त सुविधा एवं अनुदान इकाई को वापस करने होंगे। इसकी वसूली राजस्व नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

4.3 उपरोक्त सुविधायें संबंधित सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयां जिनके द्वारा यू0ए0एम0 दाखिल किये गये हों एवं जिनको संबंधित उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रमाणित किया गया हो, को प्रदान की जाएंगी।

4.4 योजनान्तर्गत देश के अन्दर तथा देश के बाहर से आयातित आधुनिकतम विकसित तकनीक प्राप्त करने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को सुविधाएं अथवा अनुदान अनुमन्य करायी जायेगी, लेकिन नई स्थापित इकाई इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। कम से कम 03 वर्ष से कार्यरत इकाई ही आवेदन हेतु पात्र होगी।

4.5 बाजार तथा तकनीकी एवं उत्पादकता कौशल के अध्ययन हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर ही उपादान देय होगा तथा इसका पैनल शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

4.6 इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुकी इकाई 05 वर्ष के उपरान्त उक्त मद में तकनीकी उन्नयन करने की स्थिति में अनुदान हेतु पुनः आवेदन कर सकती है।

4.7 यदि कोई इकाई एक से अधिक मदों में आवेदन करती है तो सूक्ष्म इकाईयों हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 7.50 लाख तथा लघु इकाईयों हेतु अधिकतम सीमा रू0 15.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

4.8 इस योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु यह अनिवार्य होगा कि आवेदक द्वारा उसी कार्य हेतु 30प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 या राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी भी योजना से कोई लाभ या अनुदान न प्राप्त किया हो। समस्त आवेदक इस आशय का स्वघोषित प्रमाण पत्र देंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4.9 यदि योजनान्तर्गत किसी आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर, अथवा शर्तों का उल्लंघन कर के सहायता धनराशि प्राप्त की जाती है तो धनराशि की वसूली तत्समय संबंधित शिड्यूल बैंक में प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज सहित राजस्व बकाये की भांति की जायेगी।

4.10 प्रस्तर-3.2 के अन्तर्गत प्राप्त किसी प्रमाणन अथवा अनुमोदन के सत्यापन हेतु संचालन समिति द्वारा किसी भी युक्तियुक्त एवं मान्य तृतीय पक्ष को यथावश्यकता नामित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में तृतीय पक्ष के सेवाओं के शुल्क का भुगतान अनुमन्य प्रतिपूर्ति अनुदान राशि से काटकर किया जायेगा।

5. क्रियान्वयन की अवधि:-

योजना लागू होने की तिथि शासनादेश जारी होने की तिथि होगी। उस तिथि अथवा उसके बाद अपग्रेडेशन करने वाली इकाईयों को सहायता अनुमन्य होगी, जो योजना अवधि तक प्रभावी होगी। योजना की क्रियान्वयन अवधि प्रस्तावित योजना के संचालन के अनुमोदन की तिथि से 05 वर्ष तक अथवा उस अवधि तक, जब तक इसे उOप्रO शासन द्वारा बन्द नहीं कर दिया जाता है, होगी। पांच वर्ष के उपरान्त आवश्यकतानुसार परीक्षणोपरान्त इसे आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6. योजना संचालन प्रक्रिया:

6.1 आवेदन प्राप्ति और निस्तारण -

योजनान्तर्गत समस्त आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे, जिसके लिए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण “प्रथम आओ, प्रथम पाओ” के सिद्धान्त पर योजना में वर्णित अर्हता एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। आवेदनों की प्राप्ति एवं निस्तारण में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि किसी भी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में योजना हेतु प्राविधानित धनराशि से अधिक देनदारी सृजित न हो। इसका दायित्व उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का होगा।

6.2 जिला स्तरीय तकनीकी समिति -

6.2.1 योजना के अधीन किसी जनपद से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने हेतु जिला स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा-

- | | | |
|-----|--|----------|
| (क) | उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र | -अध्यक्ष |
| (ख) | जिले के अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (ग) | एम0एस0एम0ई0 डी0आई0 अथवा जिलों में उपलब्ध किसी दो राजकीय तकनीकी संस्था के प्रतिनिधि | -सदस्य |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6.2.2 इस समिति का कर्तव्य होगा कि वे जनपद से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों का योजना के दिशा-निर्देश के आलोक में परीक्षण करें एवं अनुमन्य धनराशि की संस्तुति राज्य स्तरीय संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उपायुक्त, उद्योग स्वयं के स्तर से प्रथम दृष्टया अपात्र आवेदनों को युक्तियुक्त कारण आवेदन पर उल्लिखित करते हुए उन्हें छाँट सकते हैं परन्तु पात्रता का अन्तिम अनुमोदन केवल समिति ही करेगी।

6.2.3 समिति की बैठक की गणपूर्ति दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से होगी।

6.2.4 समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर इस प्रकार आयोजित की जायेगी जिससे कोई भी प्राप्त प्रस्ताव एक माह से अधिक लम्बित ना रहे।

6.3 राज्य स्तरीय संचालन समिति -

6.3.1 योजना के संचालन हेतु निम्नवत संचालन समिति गठित की जाएगी:-

(क) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ०प्र०	-अध्यक्ष
(ख) अपर निदेशक, उद्योग/संयुक्त आयुक्त, उद्योग (आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा नामित)	-सदस्य सचिव
(ग) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम	-सदस्य
(घ) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० लघु उद्योग निगम	-सदस्य
(च) निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान	-सदस्य
(छ) महाप्रबन्धक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ (या उनका प्रतिनिधि जो उपमहाप्रबन्धक स्तर से कम न हो)	-सदस्य
(ज) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कानपुर	-सदस्य
(झ) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इण्डस्ट्रियल कन्सलटेंट्स लि०, कानपुर	-सदस्य
(य) अन्य सदस्य, जो शासन द्वारा नामित हो	-सदस्य

6.3.2 समिति का कर्तव्य होगा कि वे जनपदों से प्राप्त परिपक्व प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए नियमानुसार उचित पाए गये प्रस्तावों पर सहायता अनुमोदित एवं वितरित करे।

6.3.3 समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुमोदित प्रस्तावों से किसी भी वित्तीय वर्ष में योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से अधिक देनदारी सृजित न हो।

6.3.4 समिति का यह भी दायित्व होगा कि प्रस्तर-4.7 में वर्णित द्विरावृत्ति को रोकने हेतु आवेदक के स्वघोषित प्रमाण पत्र के अतिरिक्त यथावश्यक उपाय करे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6.3.5 संचालन समिति की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सदस्यों से होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

6.4 अनुश्रवण –

6.4.1 संचालन समिति के सदस्य सचिव योजना के वितरण अधिकारी होंगे और वही उसके लेखों के समुचित अनुरक्षण और वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.4.2 वार्षिक रिपोर्ट संचालन समिति के सचिव द्वारा तैयार की जायेगी और संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

6.4.3 जनपद में उपायुक्त उद्योग समय समय पर सभी स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं प्रस्तर-4 में वर्णित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में 4.8 में वर्णित कार्रवाई हेतु आयुक्त निदेशक उद्योग को सूचित करेंगे। आयुक्त निदेशक 4.8 में वर्णित कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7- निरसन और बचत:-

उपर्युक्त नवीन व्यवस्था प्रख्यापित होने के पश्चात शासनादेश संख्या-26/18/2007-30(26)/2003, दिनांक 16 जनवरी, 2007 द्वारा प्रख्यापित एवं शासनादेश संख्या-1747/18/2007-30(26)/2003, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा संशोधित 30प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी (टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन) योजना स्वतः समाप्त समझी जायेगी परन्तु पूर्व प्रचलित योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में निम्न व्यवस्था लागू की जा रही है:-

(1) जिन इकाईयों को पूर्व प्रचलित योजना के अधीन जो लाभ प्राप्त हो रहे थे और जिनमें अभी भुगतान पूर्ण नहीं हुआ है, उनके संबंध में पूर्व प्रचलित योजना की शर्तों के अनुसार कार्यवाही भुगतान की नियमानुसार देयता समाप्त होने तक की जायेगी।

(2) जिन इकाईयों ने पूर्व प्रचलित योजना के अन्तर्गत आवेदन पंजीकृत करा दिया हो और शासनादेश जारी होने की तिथि तक लाभ हेतु चयन नहीं किया गया हो, ऐसे मामलों में भी पूर्व प्रचलित योजना की अर्हता तथा भुगतान सीमा के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) नवीन नीति के प्रख्यापन के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर नई शर्तों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशानुसार 30प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

भुवनेश कुमार
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, एच0वी0टी0आई0/लघु उद्योग सेवा संस्थान/मेमडाइटेक्स, कानपुर।
- 4- निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0/यू0पी0एफ0सी0/यू0पी0एस0आई0सी0, कानपुर।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आई0एल0, लखनऊ।
- 7- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कानपुर।
- 8- महाप्रबन्धक, सिडबी, लखनऊ।
- 9- समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त, उद्योग/उपायुक्त, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
- 10- औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।